HIRD

पंचायती राज समाचार

सितंबर 2012

PANCHAYATI RAJ NEWSLETTER

- राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन
- घटता लिंगानुपात – पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका
- ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੈ

हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी

Haryana Institute of Rural Development, Nilokheri

prharyana007@gmail.com

सार्वजनिक स्वास्थ्य - राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

■ डा. सूरत सिंह

जल एक सार्वजनिक वस्तु है और प्रत्येक व्यक्ति को पेयजल की मांग करने का अधिकार है। यह जनता की मूलभूत आवश्यकता है और इसे आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसलिए, ग्रामीण भारत में सभी के लिए सदैव स्वच्छ जल को राष्ट्रीय विजन का अंग बनाया गया और पीने, खाना पकाने एवं घरेलू आवश्यकताओं के लिए सतत ढंग से पर्याप्त जल प्रदान करना राष्ट्रीय लक्ष्य बन गया है।

यह राज्य की जिम्मेवदारी है कि वह जल गुणवत्ता के न्यूनतम मानकों के साथ इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करें। इसके अतिरिक्त, यह सदैव और सभी स्थितियों में आसानी से सुविधाजनक ढंग से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सरकार से आशा की गई है कि वह समाज के सर्वाधिक आरक्षित एवं वंचित वर्ग को पेयजल सुविधा प्रदान करने को सर्वोय प्राथमिकता दे। उसे पेयजल संबंधी जरुरतें पूरी करने के नैतिक नियमों का अनुसरण करना चाहिए एवं उसका न तो वाणिज्यीकरण करे और न ही उन लोगों को जल देने से मना करे, जो इस सेवा का मूल्य चुकाने में असमर्थ हैं। पेयजल की आपूर्ति सिर्फ बाजार की शक्तियों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। निजी एजेंसियों द्वारा पेयजल के वाणिज्यीकरण के बजाए सार्वजनिक-निजी साझेदारी (जैसे गांव में पेयजल के वितरण के लिए ग्राम पंचायत और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग विभाग के बीच) पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। जल आपूर्ति व्यवस्था की उपरभोक्ता शुल्क प्रणाली क्रॉस-सब्सिडी का अंतर्निहित हिस्सा होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछड़े समुदाय इस बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता से वंचित न रहें।

मिशन का उद्देश्य

- ग्रामीण भारत में स्थायी पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- वर्तमान पेयजल स्रोतों में सुधार/वृद्धि के उपायों के जरिए पेयजल सुनिश्चित करना और ग्रामीण जल के लिए बजट तथा समुदाय/स्थानीय सरकार द्वारा तैयार सुरक्षा योजना पर आधारित भूजल, भूतल जल तथा वर्षा जल संचयन का संयोजनशील तरीके से उपयोग करना।
- आपूर्ति एवं उपयोग दोनों बिन्दुओं पर निर्धारित मानकों के अनुरूप जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- समुदायों को उनके जल स्रोतों की निगरानी एवं रखरखाव पर सतर्कता में सक्षम बनाना।
- सुनिश्चित करना कि सभी स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों की स्वच्छ जल तक पहुंच है।
- पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय समुदायों को स्वयं उनके जल स्रोतों एवं प्रणालियों के प्रबंधन के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना।
- पारदर्शिता, जवाबदेही और सूसूचित नीति निर्धारण लाने के लिए सार्वजनिक दायरे में सूचना रखने के साथ ऑनलाइन रिपोर्टिंग के जरिए सूचना तक पहुंच प्रदान करना।

विशेषताएं और भाग

परिवार स्तर पर पेयजल सुरक्षा: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का प्रयास परिवार के स्तर पर पेयजल सुरक्षा सुलभ करना है, जबकि पहले उसका प्रयास बस्तियों के स्तर पर इसे सुलभ कराना था। इस कार्यक्रम में यह भी कहा गया है कि एक समान तरीके से जल की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुविधाजनक ढंग से उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए जल आपूर्ति प्रणालियों के रखरखाव को आवश्यक प्राथमिकता दी जाए।

जल का संयोजनशील उपयोग: इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेयजल के एक स्रोत पर अधिक आश्रित होने के बजाय भूजल, भूतल जल और वर्षा जल संचयन के अनेक स्रोतों पर निर्भर होना है, जिसमें रीचार्ज छत पर जल संचयन और पाईपलाइन के जरिए भारी मात्रा में हस्तांतरण भी शामिल है।

विकेन्द्रित दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने में आधारभूत बनाया गया है। यह एक परिणाम है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय को शामिल कर यह इस कार्यक्रम का आधारभूत सिद्धान्त बन गया है। इसलिए, स्टेकहोल्डरों, विशेषकर उपभोक्ता समुदायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण किया जाए ताकि वे पेयजल प्रणालियों का प्रबंधन एवं रखरखाव कर सकें। उन्हें नियोजन, मंजूरी, क्रियान्वयन, प्रबंधन, परिचालन एवं गांव के प्रभारी के रूप में जल आपूर्ति योजनाओं के रखरखाव में भी भागीदार बनाना आवश्यक है। इसके बावजूद, हरियाणा में गांव स्तर तक जल के हस्तांतरण एवं उसके शोधन और वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों (हरियाणा में पीएचईडी) की होगी। गांव के भीतर प्रबंधन एवं वितरण की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं या उसकी उप-समितियों जैसे ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति की होगी।

इस कार्यक्रम में जल सप्लाई प्रणालियों को विकेन्द्रित करने/और ग्राम पंचायत को प्रबंधन, परिचालन और रखरखाव के लिए सौंपने के लिए राज्यों को वित्तीय इंसेन्टिव्स (वित्तीय उत्प्रेरक) की बात कही गई है। यह इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय निधियों के आवंटन में राज्यों को 10 प्रतिशत भारिता (वेटेज) देने के रूप में है। इस बारे में सूचना 31 मार्च से पहले जमा कराई जानी चाहिए ताकि वित्त वर्ष के प्रारंभ में इस भारित के आधार पर आवंटन को अंतिम रूप दिया जा सके।

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को निधियों के आवंटन के मापदंड इसके अंतर्गत आते हैं और किसी भी वित्त वर्ष के लिए इसके अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता की सूचना संबंधित वित्त वर्ष के प्रारंभ में राज्य को दी जाती है।

तेरहवें केंद्रीय वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए भिन्न अनुदानों की सिफारिश की है, जिनका पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वहन किए जाने वाले रखरखाव के परिचालन खर्च की आंशिक पूर्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह अनुदान परिचालन एवं रखरखाव के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित एनआरडीडब्ल्यूपी के 10 प्रतिशत हिस्से और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा समान मात्रा में योगदान देने के अतिरिक्त है। इस प्रकार, परिचालन एवं रखरखाव निधियों में ये शामिल हैं: (1) तेरहवें केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा सिफारिश

किए गए अनुदान (2) एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आवंटित निधियां, और (3) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा समान मात्रा में योगदान (एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आवंटित निधियों का)।

सभी जल आपूर्ति योजनाओं में आशा की गई है कि ग्राम पंचायतें इन जल आपूर्ति योजनाओं के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन, नानावधि-गांव या थोक जल सप्लाई योजना के लिए पीएचईडी या अन्य एजेंसी जल स्रोत, शोधन संयंत्रों, मुख्य पाइपलाइनों आदि का रखरखाव करेंगी और ग्राम पंचायत वितरण करेगी। सभी राज्यों से आशा की गई है कि वे संबंधित राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों एवं आंगनवाड़ियों में पेयजल सुविधा की उपलब्धता के बारे में राज्य शिक्षा विभाग और बाल विकास विभाग से आंकड़े एकत्र करेंगे। यह सूचना आईएमएसआई से ऑनलाइन उपलब्ध कराने की आशा की गई है। जो ग्रामीण स्कूल और आंगनवाड़ियां पेयजल सुविधा से वंचित हैं, उन्हें यह प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, यह प्रत्येक सार्वजनिक स्थल, जैसे-सार्वजनिक भवनों, पंचातयी राज संस्था के कार्यालयों, सामुदायिक भवनों, बाजारों, मंदिरों, धार्मिक संस्थाओं, बाजार के स्थानों, मेला स्थलों, शवदाह गृहों आदि पर और आवाजाही करने वाले लोगों के लिए सड़कों पर सुविधाजनक स्थान पर नलके लगाकर पेयजल प्रदान यिका जाएगा।

वितरण तंत्र

ग्रामीण जल आपूर्ति के बारे में संस्थागत व्यवस्था राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर पर स्थापित की गई हैं। ग्रामीण विकास मन्त्रालय का पेयजल आपूर्ति विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) नीति संबंधी दिशा-निर्देश देता है और राज्यों को प्रबंधन संबंधी अन्य जिम्मेदारियां सौंपने के अतिरिक्त वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, डीडीडब्ल्यूएस अनेक राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसियों और नेशनल

इन्फोर्मेटीज सेंटर भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरदायित्वों के वहन में इस विभाग की सहायता करते हैं।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

इस मिशन के निम्नलिखित कार्य हैं:

- नीति संबंधी मार्गदर्शन देना,
- विशेष परियोजनाओं सहित जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का अभिसरण (कन्वर्जेंस)
- संबंधित गतिविधियों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं अन्य साझेदारों के साथ तालमेल
- भौतिक एवं वित्तीय कार्य-प्रदर्शन की निगरानी और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं का प्रबंधन
- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता दोनों के लिए संवाद और क्षमता निर्माण का एकीकरण
- कार्यक्रम निधि एवं सहायता निधि के लेखों का रखरखाव और लेखों के लिए आवश्यक लेखा परीक्षा करना।

राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति

एसएलएसएससी को प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में बस्तियों पर लक्षित (स्पष्ट है कि दिशा-निर्देशों में बतलाई गई बस्तियों के लिए प्राथमिकताओं का पालन करते हुए वर्ष में योजनाएं एवं अन्य गतिविधियां चलाना) वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीसीडीयू, डब्ल्यूक्यूएम एंड एस, आर एंड डी, एम एंड ई आदि के अंतर्गत सभी सहायक गतिविधियों की वार्षिक योजना की स्वीकृती, जो डीडीडब्ल्यूएस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन द्वारा तैयार की जाएंगी और गतिविधियां चलाई जाएंगी। वर्ष के दौरान जिन बस्तियों के लेखा पर ध्यान दिया गया या कवर किया गया, उनके लिए सभी स्वीकृत परियोजनाओं की केंद्रीय ऑनलाईन एमआईएस पर प्रविष्टि की जाएगी। नई योजनाओं की स्वीकृति एवं प्रगति की समीक्षा, स्वीकृत योजनाओं को पूरा करना एवं चालू करना। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की ग्रामीण बस्तियों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता के लिए वर्तमान जल आपूर्ति योजनाओं की कार्यप्रणाली/कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा।

जिला स्तर पर एक जिला एवं जल स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है और

उसे जिला परिषद के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में रखा गया है।

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन

जिला परिषद का अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का अध्यक्ष होता है। सम्बन्धित राज्य के जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष या जिला कलक्टर/उप-आयुक्त निर्धारित किया जाता है।

जिले के संसद सदस्य/विधानसभा के सदस्य/विधान परिषद के सदस्य, जिला परिषद की स्थायी समिति का अध्यक्ष, उपायुक्त/उपायुक्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, समाज कल्याण, आईसीडीएस, पीएचईडी, जल संसाधन, कृषि, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जिन गैर-सरकारी संगठनों की पहचान की गई है, उनको भी इस मिशन के सदस्य के रूप में कोऑप्ट किया जाता है। पीएचईडी का कार्यपालक इंजीनियर इस मिशन का सदस्य सचिव और आरहण एवं संवितरण अधिकारी होता है। सदस्य सचिव प्रशासनिक सहायता और रोजमर्रा की कार्यप्रणाली के लिए वर्तमान ढांचागत सुविधाओं का उपयोग सुनिश्चित करता है। इस मिशन की तीन में कम से कम एक बार बैठक होती है। यदि जिले के संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/विधान परिषद के सदस्य केंद्र/रा%य सरकार में मंत्री हैं तो उनमें से प्रत्येक को उसकी ओर से एक प्रतिनिधि जिला जल एवं स्वच्छता समिति में प्रतिनियुक्त करने की अनुमति दी जा सकती है।

निम्नलिखित कार्य

- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा एवं पूर्ण स्वच्छता के बारे में परियोजना तैयार करना, उनका प्रबंधन एवं प्रगति पर निगरानी रखना।
- पंचायत समिति/ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं की जांच एवं मंजूरी और उन्हें एसएलएसएससी या जहां कहीं आवश्यक हो, को अग्रसारित करना।
- एजेंसियों एवं गैर-सरकारी संगठनों का चयन और सामाजिक एकजुटता, क्षमता के विकास, संवाद, परियोजना के प्रबंधन एवं निगरानी के लिए समझौते करना।
- जन-प्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम जनता को संवेदनशील बनाना।
- सभी स्टेकहोल्डरों की क्षमता के विकास के लिए प्रशिक्षण देने के बारे में संस्थानों का सहयोग लेना और संवाद अभिचान चलाना।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, कृषि, ग्रामीण विकास आदि के अलावा एसएसए, एनआरएचएम, आईसीडीएस आदि के जिला जन-प्रतिनिधियों के बीच समन्वय बिठाना और एसडब्ल्यूएसएम, राज्य सरकार तथा भारत सरकार के साथ विचार विमर्श करना।

जिला जल आपूर्ति आपूर्ति मिशन द्वारा जिला स्तर पर ग्रामीण जल सुरक्षा स्थलों का विश्लेषण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाता है। अन्य शब्दों में, उसे सक्षम अधिकारी की यथोचित स्वीकृती के बाद जिला स्तर पर जल सुरक्षा योजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस स्तर पर सभी संबंधित कार्यक्रमों का अभिसरण (कन्वर्जेंस) और निधि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इस कार्यक्रम के साथ निम्नलिखित योजनाओं का अभिसरण किया गया है:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- समेकित वाटरशेड प्रबंधन परियोजना
- केन्द्र और राज्य वित्त आयोग की निधियां
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
- विभिन्न वाटरशेड एवं सिंचाई योजनाएं
- जल संसाधन मंत्रालय की विभिन्न योजनाएं

ग्राम पंचायत स्तर पर

गांव के स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (बीडल्यूएससी) का गठन किया जाता है। इस समिति में पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसमें हरियाणा के अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य गरीब वर्गों को यथोचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वीडब्ल्यूएससी में न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला सदस्य होती हैं। यह समिति ग्राम पंचायत की जल एवं स्वच्छता पर स्थायी समिति के रूप में कार्य करती है और ग्राम पंचायत का अभिन्न अंग।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी हैं:

- पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी सभी गतिविधियों का नियोजन, रूपरेखा तैयार करना करना और क्रियान्वयन करना।
- जल एवं स्वच्छता संबंधी मसलों की समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को तथ्य एवं आंकड़े प्रदान करना।
- ग्राम जल सुरक्षा के लिए इनपुटस प्रदान करना।
- योजना के सभी चरणों में सामुदायिक भागीदारी और नीति निर्धारण।
- नकद या वस्तु दोनों के रूप में पूंजीगत लागत के लिए सामुदायिक योगदान आयोजित करना, यदि कोई है।

घटता लिंगानुपात - पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

वर्ष 2011 की जनगणना से यह पता चला है कि अत्यंत विपरीत एवं घटती शिशु लिंग अनुपात (सी एस आर) के गंभीर सामाजिक-आर्थिक परिणाम होते हैं। योजना आयोग में विचार-विमर्श के क्रम में, एक दृष्टिकोण उभर कर सामने आया कि कन्या शिशु के अनुपात में मुख्यतया पंचायतों की पहल द्वारा सुधार लाया जा सकता है। लिंग निर्धारण को रोकने के लिए कानून के होने एवं इसे एक संगीन अपराध मानने मात्र से प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण एवं कन्या भ्रूणहत्या को रोका नहीं जा सका है। कानून तब भी ज्यादा प्रभावी नहीं होगा जब बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे कानूनों में विश्वास नहीं करते। कानून को लागू करने तथा लोगों की सोच को बदलने दोनों के लिए पंचायतों, ग्राम सभा व महिला सभा के मंचों का उपयोग किया जाना चाहिए।

गत वर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों की मानिटरिंग समिति को पंचायत/वार्ड सदस्य के नियंत्रणाधीन किया गया है। उसी प्रकार, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को ग्राम की उप-समिति बनाया गया है। अत: पंचायतों के पास गर्भवती माताओं, लड़कों व लड़कियों के जन्म तथा आईएमआर/सीएमआर के पंजीयन के बारे में सूचना की पहुंच हो। इस संदर्भ में पंचायती राज मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायतों के लिए निम्नलिखित कार्यबिन्दु सुझाए गए हैं:

- विशेष ग्राम सभा बैठक (क) विगत कुछ वर्षों के दौरान लड़कों एवं लड़कियों के जन्म दर (ख) महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की बड़ी संख्या होने का प्रभाव (ग) भ्रूण के लिंग निर्धारण एवं कन्या भ्रूण हत्या की अवैधता तथा (घ) पक्ष समर्थन के जरिए कन्या शिशु के महत्व को बढ़ाने पर विचार-विमर्श करने हेतु।
- महिला सभा का गठन तुरंत या तो कार्यकारी निर्देशों अथवा वैधानिक नियमों के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्हें नियमित बैठकें आयोजित करनी चाहिए साथ ही कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। महिला सभा, जिसमें सभी महिला मतदाता शामिल हैं, की बैठक पंचायत आयोजित करेगी तथा की जा रही कार्यवाही के विषय में उन्हें सूचित करेगी।
- महिला सभा के विचारित मामलों में से एक मामला निश्चित रूप से जन व्यवस्था पर महिलाओं की कमतर संख्या से होने वाले प्रभाव एवं व्यस्कों के हित के संबंध में रहेगा।
- लिंग का निर्धारण गर्भ धारण के मात्र तीन महीने के बाद ही संभव है। गर्भवती महिलाएं जो आंगनवाड़ी/एएनएम के पास तीन महीन के उपरान्त अपना पंजीयन कराती हैं वे ही भ्रूण के लिंग निर्धारण करा सकती हैं। इन मामलों को पंचायत, ग्राम सभा एवं महिला सभा की

जानकारी में लाया जाना चाहिए।

- भारत सरकार के निर्णय अनुसार, एक वार्ड सदस्य अधिमानत: एक महिला वार्ड सदस्य आंगनवाड़ी केंद्र मॉनीटरिंग समिति की अध्यक्ष होंगी। उसे गर्भवती माताओं, जन्म, प्रतिरक्षीकरण व अन्य गतिविधियों के पंजीकरण को निकटता से मॉनीटर करना चाहिए। उसे ग्राम सभा की बैठकों में निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
- ग्राम सभा बैठक में कन्या शिशुओं के बचाव के लिए प्रतिबद्ध रही महिलाओं को इस उदेश्य के लिए कार्य करने हेतु स्वयंसेवक के तौर पर चयन किया जाएगा। पंचायत को स्वयं सेवकों के बीच विभाजित किया जा सकता है। एक गतिविधि में यह देखना होगा कि प्रत्येक गर्भवती माता को पहले महीने के उपरांत आंगनवाड़ी केंद्र को सूचित करने के लिए कहा जाएगा। ऐसा करने से इन्कार करने वाली गर्भवती माता के मामले में उसका नाम आंगनवाड़ी केंद्र एवं ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। वे ऐसी माताओं के ऊपर दृष्टि रखेंगी कि दलाल या एजेंट नहीं आए एवं वह लिंग जांच के लिए नहीं जाने पाए। अगर वह ऐसा करती है तो स्वयं सेवक क्लिनिक तक उसके साथ जाएंगी और सुनिश्चित करेंगी की कोई गैर कानूनी कार्य न होने पाए।
- चार माह के दौरान अथवा उसके उपरान्त पंजीयन कराने वाली महिलाओं के नाम ग्राम सभा अथवा महिला सभा बैठकों में घोषित किए जायेंगे।

- स्वयं सेवक/वार्ड सदस्यगण लिंग निर्धारण की जांच एवं कन्या भ्रूण-हत्या में महिलाओं की सहायता करने हेतु बाहर से आने वाले एजेंटों के विषय में पुलिस को सूचना देंगे एवं ग्राम सभा और महिला सभा में उनके नाम घोषित किए जाने चाहिएं।
- आंगनवाड़ी केंद्र/वार्ड सदस्यगण ग्राम पंचायत को प्रत्येक माह गर्भवती माताओं, बच्चों एवं प्रतिरक्षण के विषय में रिपोर्ट देगा।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कि उसी गांव का होता है, प्रथम माह के दौरान गर्भधारण के सभी मामलों में पंजीकरण हेतु पहल करेगा।
- पंचायत सदस्यों व सरपंच समेत सभी ग्रामीण इस गतिविधि में लिप्त क्लिनिकों पर निगरानी रखेंगे एवं किसी मामले का पता लगने पर उसके बारे में पुलिस एवं जिलाधिकारी को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए।

जहां महिला सभा का गठन नहीं हुआ है वहां इसका गठन किया जाना चाहिए एवं वे सी.एस.आर. के मामले को उठाएं। इस मामले पर विचार-विमर्श करने एवं यहां सुझाए गए कदमों का परीक्षण करने हेतु आगामी दो महीनों में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जानी चाहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति (वी.एच.एस.सी.) की भूमिका बढ़ाई जाए जिससे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम. एवं आशा की सक्रिय भागीदारी से पोषण को इसके क्षेत्र में शामिल किया जा सके। अब से इस समिति को ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी.) के रूप में जाना जाएगा। कार्यान्वयन के एन.आर.एच.एम. फ्रेमवर्क के अनुसार व्ही.एच.एस.सी. की परिभाषित गतिविधियों के अतिरिक्त, वी.एच.एस.एन.सी. पोषण से संबंधित स्थिति, मामले एवं कार्य में संलग्न रहेगा एवं उनका मानिटर भी करेगा। वी.एच.एस.एन. की परिभाषित गतिविधियों के अतिरिक्त वी.एच.एस.एन.सी. पोषण से संबंधित स्थिति, मामले एवं कार्य में संलग्न रहेगा एवं उनका मानिटर भी करेगा। वी.एच.एस.एन.सी. के विस्तारित अधिदेश में वी.एच.एस.सी. के विद्यमान अधिदेश के अलावा निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होंगी:

- पोषण संबंधी मामले एवं स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण अवधारक के तौर पर पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता का सृजन करना।
- गांव में विशेषकर महिलाओं व शिशुओं के बीच पोषण की स्थिति एवं पोषण संबंधी कमियों पर सर्वेक्षण कराना।
- समुदाय से परामर्श की प्रक्रिया के

माध्यम से स्थानीय रूप से उपलब्ध उच्च पोषण क्षमता वाले खाद्य पदार्थों की पहचान करना साथ ही स्थानीय संस्कृति, सक्षमता एवं भौतिक पर्यावरण के अनुकूल सर्वश्रेष्ठ कार्यों (परम्परागत ज्ञान) को प्रोत्साहन देना।

- ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह पूरे गांव की सक्रिय भागीदारी के साथ गांव में प्रत्येक माह आयोजित की जाए।
- समुदाय में कुपोषित बच्चों की तुरंत पहचान को सुलभ बनाना, निकटतम पोषण पुर्नवास केंद्र (एनआरसी) को अभिनिदेशन से संलग्न करना, साथ ही संधारित परिणामों पर अनुवर्ती कार्यवाही करना।
- गांव में आंगनवाड़ी केंद्र (ए.डब्ल्यू.सी.) के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना एवं महिला और बच्चों के पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने में इसके कार्यों को सुलभ बनाना।
- स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी मामले में शिकायत निवारण मंच के तौर पर कार्य करना।

समिति, अधिमानतः, ग्राम पंचायत की उप-समिति के तौर पर एवं ग्राम पंचायत के समग्र पर्यवेक्षण के तहत कार्य करने के लिए कहा गया है। तदनुसार राज्यों को परामर्श दिया गया है कि सभी सम्बन्धितों को व्ही.एच.एस.एन.सी. के गठन पर आवश्यक अधिसूचना व दिशा निर्देश जारी करें। राज्यों से यह भी निवेदन किया गया है कि वे व्ही.एच.एस.एन.सी. को ग्राम पंचायत की उप-समिति के तौर पर अधिसूचित करने पर विचार करें।

महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय (एमई-इकाई) के पत्र डायरी संख्या 72/2012-एमई दिनांक 19-1-2012 के अन्तर्गत जारी की गई आई.सी.डी.एस. स्कीम के कर्यान्वयन की समीक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग एवं समीक्षा समितियों के गठन

के लिए दिशा निर्देश

आंगनवाड़ी-स्तरीय आईसीडीएस मॉनीटरन एवं सहायता समिति

संरचना

- ग्राम पंचायत/वार्ड सदस्य (यथासंभव महिला सदस्य): अध्यक्ष
- महिला मंडल (बारी-बारी से दो सदस्य) : सदस्य
- आशा कार्यकर्ता : सदस्य

निम्नलिखित के प्रतिनिधि

- सामुदायिक संगठन (दो) : सदस्य
- समुदाय (अध्यापक/सेवा निवृत सरकारी अधिकारी/आंगनवाड़ी) : केन्द्र में आने वाले बच्चों के माता पिता (3) सदस्य
- सबला कार्यक्रम के अतर्गत सखी (यदि कोई हो) : सदस्य
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता : संयोजक

टिप्पणी

- समिति की बैठक नियमित रूप से हर महीने आयोजित की जाएगी और इस बैठक में आंगनवाड़ी के क्षेत्र में आने वाले गांव या वार्ड/झुग्गी बस्ती से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा तथा बैठक का कार्यवृत दर्ज किया जाएगा। कार्यवृत की एक प्रति ब्लाक स्तरीय समिति और बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेजी जाए।
- इस बैठक के आदेशानुसार आईसीडीएस पर्यवेक्षक, ए.एन.एम. महिला स्वास्थ्य परिदर्शक को आमंत्रित किया जा सकता है।

भूमिकाएं

आंगनवाड़ी-स्तरीय समिति आंगनवाड़ी केंद्र में सेवाओं की प्रदायगी में सुधार के लिए समीक्षा करके उपयुक्त कार्यवाही करेगी/करने का सुझाव देगी। इस समिति को निम्नलिखित भूमिकाएं निभाने के लिए प्राधिकृत किया गया है:

- यह जांच करना कि आंगनवाड़ी केंद्र नियमित रूप से कार्य करे।
- यह सुनिश्चित करना कि सर्वेक्षण में शामिल किए गए जन समुदाय में से सभी पात्र लाभार्थी हों।
- एक माह में कम से कम 21 दिन सभी लाभार्थियों को पूरक आहार की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करना।
- तीन वर्ष तक की आयु और 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों की पोषाहारीय स्थिति वजन संबंधी आंकड़े, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए बाल विकास चार्टों और संयुक्त मातृ एवं बाल संरक्षण कार्डों की उपलब्धता और मध्यम या गंभीर रूप से

अल्पपोषित बच्चों की संख्या तथा किए गए उपाय।

- स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के कामकाज की समीक्षा-रोजमर्रा के कार्यकलाप, स्थानीय शिक्षण और खेलकूद सामग्री का विकास/प्रयोग, बगाों के माता-पिता के साथ बैठकों का आयोजन इत्यादि।
- वीएचएससी की बैठकों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में अयोजित किए जाने वाले मासिक ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिस के आयोजन में इस समिति का कम से कम एक सदस्य (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और ए.एन.एम. के अतिरिक्त) शामिल हो और यह भी सुनिश्चित करना कि इस दिवस का आयोजन भलीभांति किया जाए और अच्छी-खासी संख्या में लोग इसमें भाग लें और इन दिन सभी निर्धारित सेवाएं प्रदान की जाएं।
- स्थापित मानकों को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करना (स्वच्छ जल, कार्यशील शौचालय, खेलकूद को स्थान, स्कूल-पूर्व शिक्षा/औषधि किटों, भोजन पकाने के बर्तनों इत्यादि सहित अवसंरचना) (समिति समुदाय/अन्य स्कीमों से संसाधन जुटाकर आंगनवाड़ी केंद्र की अवसंरचना में स्थानीय स्तर पर सुधार करने के उपायों पर विचार कर सकती है)
- खाद्य अनुपूरकों, औषधियों और भौतिक वस्तुओं जैसी उपभोग योग्य सामग्री की प्राप्ति और उसके उपयोग की समीक्षा करना
- अपेक्षित मानकों की तुलना में कोई कमी या भण्डार में कोई त्रुटि पाए जाने पर उसके कारण खोजना।
- ऐसी कमियों और त्रुटियों के संबंध में दस्तावेज और रिपोर्ट तैयार करके ब्लाक स्तरीय मानीटरिंग समिति और बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत करना।
- आंगनवाड़ी केंद्र या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संबंधित किसी स्थानीय विवाद की सुनवाई करके ऐसे मामलों को समझौते के माध्यम से सुलझाना, सुलझ न पाने वाले विवादों को ग्राम पंचायत या ब्लाक स्तरीय मानिटरिंग समिति के पास भेजना।
- आंगनवाड़ी केंद्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी के कारणों को समझने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आईसीडीएस पर्यवेक्षक के साथ विचार-विमर्श करना और सम्बन्धित सेवाओं में स्थानीय रूप से सुधार करने के तरीके खोजना, अनसुलझे मुद्दों के संबंध में औपचारिक दस्तावेज तैयार करके रिपोर्ट ब्लाक स्तरीय मानिटरिंग समिति को भेजना और एक प्रति, जैसा भी उपयुक्त हो, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी तथा ग्राम पंचायत को भेजना।
- सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए प्रासंगिक अन्य कोई विषय।

टिप्पणी

उपर्युक्त किसी/सभी कार्यकलाप को सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र स्तरीय समिति के सदस्यों को:

- आईसीडीएस कार्यक्रम के उदेश्यों और भावना से परिचित होना पड़ेगा।
- आईसीडीएस मानकों और दिशानिर्देश की प्रति ब्लाक स्तरीय मानिटरिंग समिति से प्राप्त करके इनसे परिचित होना पड़ेगा। इन मानकों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए ब्लाक स्तरीय मानिटरिंग समिति के सदस्यों या पर्यवेक्षण या बाल विकास परियोजना अधिकारी या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी से विचार-विमर्श करना होगा।
- समय-समय पर आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा करके समुदाय के अन्य सदस्यों से बातचीत करके यह जानकारी प्राप्त करनी होगी कि आंगनवाड़ी केंद्र कैसे काम कर रहा है।
- समिति का कामकाज निपटाने के लिए मासिक बैठक का आयोजन, यथासंभव आंगनवाड़ी केंद्र की मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार हो जाने के शीघ्र बाद करना होगा और बैठक का कार्यवृत तैयार करना होगा, जिसमें सदस्यों की उपस्थिति, विचार-विमर्श में शामिल मुद्दों, निष्कर्षों और की गई कार्यवाही का ब्यौरा दर्ज हो।
- मासिक बैठक के कार्यवृत की प्रति ब्लाक स्तरीय मानिटरिंग समिति को भेजनी होगी।

हालांकि किसी भी मुद्दे पर बातचीत और सर्वसम्मति से निर्णय लेना हमेशा बेहतर होता है, लेकिन समिति के उपस्थित सदस्य दिशा निर्देशों एवं मानकों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। अनसुलझे मुद्दे निर्देश के लिए उगा स्तर पर भेजे जा सकते हैं। समिति और इसके सदस्य अपना काम-काज इस प्रकार करेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी केंद्र के रोजमर्रा के कामकाज में कोई बाधा न आए।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उपर्युक्त सुझावों के अनुरूप विभिन्न स्तरों पर मानीटरिंग एवं समीक्षा समितियों का गठन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। उपर्युक्त मानीटरिंग तंत्र के प्रभाव की रिपोर्ट के साथ की गई कार्यवाही रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाए ताकि राष्ट्र स्तरीय मानिटरिंग एवं समीक्षा समिति की बैठक तथा राज्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में इस विषय पर विचार-विमर्श किया जा सके।

पंचायती राज मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तिका से जनहित में उद्धृत

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹੈ

ਅੰਜਨਾ ਦੱਤਾ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਾਹਜਤਾ ਇਕ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤ। ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਹੈਲਿਨ ਕਿਲਰ, ਲੂਈ ਬਰੇਲ, ਗਲੇਨ ਕਲਿੰਘਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਿਸ਼ਵ 'ਡੈੱਫ਼ ਐਂਡ ਡੰਬ ਡੇ' ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਡੈੱਫ਼ ਐਂਡ ਡੰਬ ਫ਼ੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਡੈੱਫ਼ ਐਂਡ ਡੰਬ ਫ਼ੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1951 'ਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਇਕ ਡੈੱਫ਼ ਐਂਡ ਡੰਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਫ਼ੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਤ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਡੈੱਫ਼ ਐਂਡ ਡੰਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 1958 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੰਨ 2009 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਡੈੱਫ਼ ਐਂਡ ਡੰਬ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬਹਿਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਰ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਪਾਨੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਸਕੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਦਿਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਦਿਵਸ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1999 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਿਲ ਫ਼ੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 'ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਨ ਹੈ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। 1946 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਕਾਰਡੀਆਲੋਜੀ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1970 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਡੀਆਲੋਜੀ ਫ਼ੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1978 'ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਰਟ ਫ਼ੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਰਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 200 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਫ਼ਿੱਟਨੈੱਸ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ●

मिट्टी, जंगल, जीव और पानी। इनके बिना हर योजना काणी

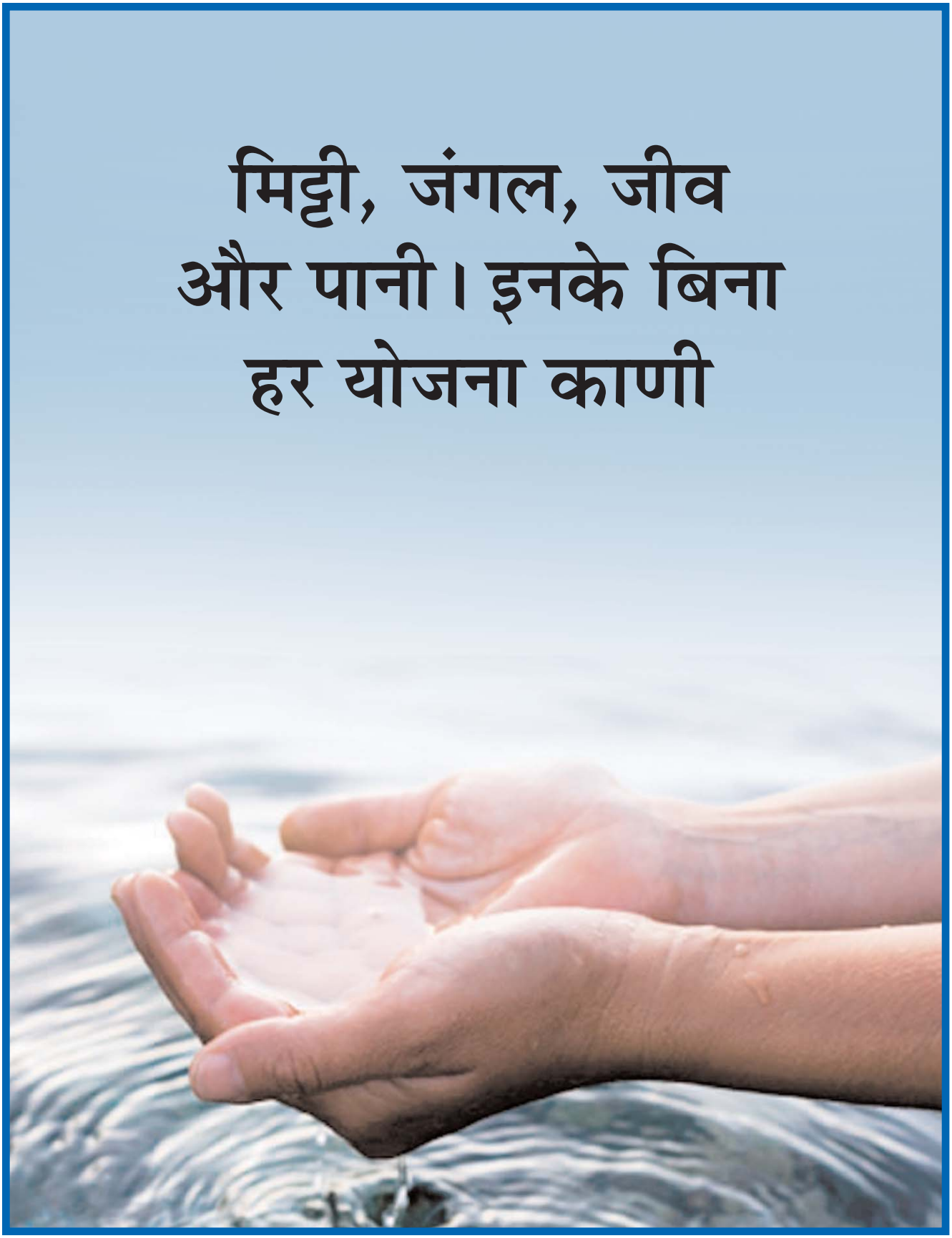

कला तथा मुद्रण व्यवस्था : संवाद सोसाइटी (सूचना, जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी)
डा. सूरत सिंह द्वारा प्राइवेट सर्कुलेशन के लिए Aravali Printers & Publishers (P.) Ltd. W-30, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 से मुद्रित
पंचायतीराज न्यूजलैटर हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेडी (जिला करनाल) के लिए संस्थान निदेशक
डिजाइन : सुरेखा मिड्ढा, डिजिटल सपोर्ट: विकास डांगी